तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 11/2024 बलदेव सिंह बनाम राज. सरकार प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/1/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि जमीन ख. नं. 17 रकबा 1.94 है0, खसरा नं. 21 रकबा 0.84 है0 किता 2 का कुल रकबा 2.78 है0 राजस्व ग्राम देरवाला तहसील व जिला झुन्झुनूं में अवस्थित है। आवेदकगण व अनावेदक संख्या 2 प्रत्येक उक्त जमीन के 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम अमल दरामद है, परन्तु राजस्व अधिकारियों की भूल से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 1 का नाम बलाराम पुत्र उदाराम तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम बलूताराम पुत्र नारायण गलत दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी संख्या 1 का समस्त दस्तावेजों में वास्तविक नाम बलदेव सिंह पुत्र उदाराम तथा प्रार्थी संख्या 2 का समस्त दस्तावेजों में वास्तविक नाम बलूताराम पुत्र उदाराम है जिसे दुरूस्त किया जाये। बहस वकील प्रार्थीगण सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा तहसीलदार रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीदार ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण के नाम बलदेव सिंह पुत्र उदाराम तथा बलूताराम पुत्र उदाराम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। बाद अवलोकन पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम देरवाला तहसील व जिला झुन्झुनूं के हाल भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 1.94 है0, खसरा नम्बर 21 रकबा 0.84 है0 किता 2 का कुल रकबा 2.78 है0 में प्रार्थीगण का नाम बलाराम पुत्र उदाराम तथा बलूताराम पुत्र नारायण की के स्थान पर बलदेव सिंह पुत्र उदाराम तथा बलूताराम पुत्र उदाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 7/1/25 को खुले इजलास सुनाया गया। (हवाई सिंह यादव) 7/1/25 उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	